केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 319 बुधवार 12 जून 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी ने रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी

संवाददाता–अयोध्या। गृहमंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह मंगलवार को अयोध्या पहुंची। उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। रामलला के दरबार में दर्शन–पूजन के दौरान पुजारियों ने उनका स्वागत किया और प्रसाद भी दिया। हनुमानगढ़ी में उन्होंने हनुमान जी महाराज की आरती उतारी। संत हेमंत दास ने हनुमानगढ़ी में उनका स्वागत किया।

छावनी के युवक की सुल्तानपुर में हादसे में मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। छावनी थानाक्षेत्र के मल्लूपुर गांव निवासी एक युवक की सुल्तानपुर जिले में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। ससुराल गए युवक की बाइक से घर वापस लौटते समय जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे फ्लाईओवर के पास सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई थी। इस हादसे में दो अन्य युवकों की भी मौत हो गई। इस हादसे में मृत युवक की पत्नी की हालत गंभीर है। पत्नी को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। युवक की मौत से पैतृक गांव के लोग गमगीन हैं।

थानाक्षेत्र के मल्लूपुर निवासी अमित मिश्र (30) की मौत सड़क हादसे में हो गई। अमित अपने ससुराल उधड़पुर भटपुरवा निकट ढेमवा बाजार तेरहवीं में शामिल होने शुक्रवार को गया था। सोमवार को घर वापस आते समय हादसे में असमय काल के गाल में समा गया। सुल्तानपुर जिले कोतवाली जयसिंहपुर के बिरसिंहपुर गांव के फ्लाईओवर के पास हुए हादसे पत्नी अन्तिमा मिश्रा को लिला चिकित्सालय सुल्तानपुर से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गांव में युवक की मौत की सूचना से हाहाकार मच गया। अमित दिल्ली में रहकर पीओपी का काम करता था। गर्मी में छुट्टी मानने परिवार के साथ घर आया था। अमित की मौत से आठ वर्षीय बेटा और छह वर्षीय बेटी अनाथ हो गई।

गड्ढा पाटकर ग्रामीणों के सामनें मुसीबत खड़ी कर रहे दबंग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के खझौला गांव निवासी विवेक सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर गड्ढे की जमीन पर मिट्टी पाटकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप गांव के संजीव सिंह पुत्र विमल सिंह पर है। दिये गये शिकायती पत्र में विवेक सिंह ने लिखा है कि गड्ढे में मिट्टी पाटने से उसमे जमा होने वाला पानी इधर उध फैल रहा है और राहगीरों की परेशानी का कारण बन गया है। इस मामले में पूर्व में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन आरोपी ने लेखपाल से मिलकर मनमाफिक रिपोर्ट लगवा लिया। शिकायतकर्ता ने पुनः 27 दिसम्बर 23 को प्रार्थना पत्र दिया। इसमे भी हलका लेखपाल और विपक्षी मिलकर अवैध कब्जे पर परदा डाल रहे हैं। यही कारण है कि आरोपी का मन बढ़ गया है और व गड्ढा पाटकर ग्रामीणों के सामने मुसीबत खड़ी कर रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले को संज्ञान लेकर गाटा संख्या 340 जो अभिलेखों में गड्ढही दर्ज है की पैमाइश करवाने की सिफारिश की है।

योगी कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति 2024–25 को दी मंजूरी

संवाददाता–लखनऊ। योगी सरकार ने मंगलवार को 2024–25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत समूह ग और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह ग और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024–25 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति में पिछले वर्ष की नीति के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है। इसके तहत समूह क और ख के वो अधिकारी जिन्होंने अपने सेवाकाल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष पूरे कर लिए हों वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह क और ख में स्थानांतरण संवर्ग वार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20 प्रतिशत होगी और समूह ग और घ के लिए अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई है।

उन्होंने बताया कि समूह ग और घ के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा। यदि 10 प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए मंत्री जी की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री जी से लेना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत वहां रिक्त पड़े पदों को भरने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बैठक में 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए विशेष प्रस्तावित भी पास किया। प्रस्ताव के अनुसार इस बार 3200 हेक्टेअर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेअर में मेला लगेगा। इसके साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भारी तादाद में आने की संभावनाओं के मद्देनजर घाटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99 हजार के सापेक्ष 79 हजार लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही बिजली विभाग में एक हजार करोड़ का लोन 9.5 प्रतिशत की दर से हुडको से लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाये जाने पर अपना दल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। अपना दल एस क्षेत्रीय कार्यालय लोहिया कम्पलेक्स पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विवेक चौधरी की अगुवाई में अपना दल एस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को केन्द्रीय राज्य मंत्री बनाये जाने पर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुसी व्यक्त किया इस अवसर पर रोहित पटेल,प्रदीप पटेल राना,रमेश चन्द्र गिरि,अरूण चौधरी,इरफान अहमद,विजय पटेल, राजकुमार चौधरी,लवकुश पटेल, अनिल चौधरी,गोलू पटेल, गीता वर्मा, रोहित पटेल, महिपाल पटेल आदि लोग उपस्थित रहे।

सफाईकर्मियों ने डीपीआरओ को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के निस्तारण की मांग

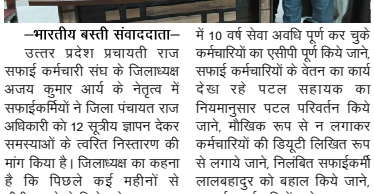

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

उत्तर प्रदेश प्रायवती राज सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य के नेतृत्व में सफाईकर्मियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी को 12 सूत्रीय ज्ञापन देकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग किया है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि पिछले कई महीनों से डीपीआरओ से किये गये पत्राचार व वार्ता का उन्होने संज्ञान नही लिया और न ही कार्यवृत्ति जारी की गई। कर्मचारियों का तरह तरह से शोषण, उत्पीड़न जारी है। संघ ने चेतावनी दिया है कि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण नही हुआ तो निर्णायक धरना प्रदर्शन होगा जिसकी जिम्मेदारी डीपीआरओ की होगी। सौंपे गये ज्ञापन में 10 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का एसीपी पूर्ण किये जाने, सफाई कर्मचारियों के वेतन का कार्य देख रहे पटल सहायक का नियमानुसार पटल परिवर्तन किये जाने, मौखिक रूप से न लगाकर कर्मचारियों की डियूटी लिखित रूप से लगाये जाने, निलंबित सफाईकर्मी लालबहादुर को बहाल किये जाने, सफाई कर्मचारियों को उपकरण उपलब्ध कराये जाने, जिन सफाई कर्मचारियों ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन किया है उनका बिल ट्रेजरी में एक साथ लगाने, दिव्यांग सफाईकर्मियों का भत्ता शीघ्र स्वीकृत किये जाने, सेवा पुस्तिका व एनपीएस पासबुक पूर्ण किये जाने सहित कई मांगें शामिल हैं।

बच्चों संग अश्लील हरकतें करता है मौलबी, ग्रामीणों ने की कार्यवाही की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवां थाना क्षेत्र के परसा हज्जाम गांव के मदरसा अरबिया शमसुल उलूम के मौलबी अब्दुल हफीज पुत्र फतेह आलम पर मदरसे में तालीम ले रहे बच्चों ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। परसा हज्जाम गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर मौलबी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग किया है। जानकारी मिली है कि मदसरे में कुछ बिहार के बच्चे भी पढ़ते हैं। उनका आरोप है कि मौलबी उनसे अपने गुप्तांग धुलवाता है। बच्चों ने अपने माता पिता से इसकी शिकायत की। इसके बाद बिहार से कुछ लोग आये और ग्रामीणों से मामले की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि वे बच्चों का बयान सुनकर माफी शर्मसार हुये, इस संदर्भ में बातचीत करने मदरसे पर गये तो गांव के मुस्लिम पुत्र सादिक अली, परवेज अहमद पुत्र तबक्कल हुसेन आदि का संरक्षण पाकर मौलबी ने उल्टे गांव वालों को ही फंसाने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि मौलबी गांव वालों के आपसी रिश्ते खराब कर रहा है और उन्मादी माहौल बनाना चाहता है। यदि उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही नही हुई तो इलाके का माहौल दूषित होने की पूरी संभावना है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बच्चों ने मौलबी के ऊपर जो आरोप लगाया है उसके पर्याप्त सबूत उनके पास हैं।

डॉ अर्चना दुबे को मिली डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी योग एवं एक्यूप्रेशर विज्ञान की उपाधि

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विगत तीन दशकों से ज्यादा समय से एक्यूप्रेशर,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की सेवा दे रही अखंड चौरिटेबल ट्रस्ट के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्षा, विश्व संवाद परिषद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा के डॉ अर्चना दुबे को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी योग एवं एक्यूप्रेशर विज्ञान की उपाधि प्राप्त की। डॉ अर्चना का शोध प्रबंध का शीर्षक महिलाओं के पी०सी०ओ०डी० समस्या पर योग एवं एक्यूप्रेशर प्रभाव का अध्ययन पर दिया गया। भारतवर्ष की पहली महिला जो एक्यूप्रेशर पर पीएचडी की।

डॉक्टर का फिलॉसफी योग एवं एक्यूप्रेशर पी.एच.डी. सम्मान पाने पर विश्व संवाद परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक डॉ श्याम पचौरी,प्रो डॉ सिया प्रताप सिंह,योग गुरु सुनील सिंह,योगाचार्य डॉ रमेश चंद्रा, योगाचार्य डॉक्टर नवदीप जोशी, श्री एवं श्रीमती काबरा, डॉक्टर अंतिम कुमार जैन, प्रो डॉ नवीन सिंह,डॉ सतेंद्र मिश्र, डॉ एस. के. अग्रवाल, डॉ रश्मि, सीमा शर्मा, डी. आर. चौधरी, सिद्धार्थ चौधरी, गुरु प्रकाश शर्मा, प्रेरणा, मनीषा सिंह, उर्वशी उपाध्याय नमिता प्रजापति एसके शुक्ला, गरुण ध्वज पांडेय, डॉ ज्योति सिंह,डॉ नवजोत सिंह,अनुपम सिंह आदि योग एवं एक्यूप्रेशर चिकित्सक एवं सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

नीट को लेकर सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी, उच्चस्तरीय जांच की मांग

संवाददाता–गोरखपुर।

चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी आप भी इस विवाद में कूद पड़ी है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वह नीट के परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में दोषियों को जेल भेजने की मांग की। इसकी अगुवाई महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट होती है।

यह भ्रष्टाचार में जकड़ चुका है। परीक्षा में इसका पेपर लीक हो गया। परीक्षा का परिणाम 14 जून को जारी होना था। जिसे 4 जून को ही जारी कर दिया गया। उसी दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित हो रहे थे। इस परीक्षा में 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। कुछ छात्रों को 718 और 719 अंक भी मिले हैं। जो कि संभव है। ऐसा लग रहा है कि नीट परीक्षा में गंभीर त्रुटि और भ्रष्टाचार किया गया है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव, महानगर प्रभारी अमिताभ जायसवाल, शैलेंद्र पांडेय, तारिक अनवर, धनंजय श्रीवास्तव, दिलीप मौर्या, राकेश राजभर, अरुण श्रीवास्तव मौजूद रहे।

वाराणसी से प्रियंका लड़ जाती तो 3 लाख वोट से हारते पीएम मोदी -राहुल गांधी

रायबरेली (आभा)। यूपी खासकर अमेठी–रायबरेली में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो से तीन लाख वोटों से हार जाते। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में तो भाजपा हार ही गई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री जान बचाकर निकले हैं। राहुल ने कहा कि यह बात किसी अहंकार में नहीं कह रहा हूं। हिन्दुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री को मैसेज दिया है कि हम आपकी नफरत के खिलाफ हैं। हम मोहब्बत चाहते हैं। आपकी राजनीति हमें अच्छी नहीं लगी है। जनता ने प्रधानमंत्री के बताया है कि आपने देश में दस साल तक हिंसा और नफरत फैलाई है। हिन्दुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। राहुल गांधी ने वाराणसी में पीएम मोदी की कम मार्जिन और अयोध्या में हुई भाजपा की हार पर कहा कि इस बार अमेठी और रायबरेली ही नहीं पूरे यूपी और देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्रधानमंत्री की नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर वोट दिया है। राहुल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया। उसके उद्घाटन में एक गरीब आदमी नहीं था। एक दलित, एक किसान, एक मजदूर, एक पिछड़ा नही था। आदिवासी राष्ट्रपति को कहा कि आप वहां नहीं आ सकतीं। वहां अडानी–अंबानी थे। देश के अरबपति थे। पूरा बॉलीवुड, क्रिकेट की टीमें खड़ी थीं। जबाब अयोध्या की जनता ने दिया है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं वाराणसी में जान बचाकर निकले हैं प्रधानमंत्री। मैं आपसे और बहन प्रियंका से कह रहा हूं, अगर यह लड़ गई होती तो वाराणसी में आज प्रधानमंत्री दो से तीन लाख वोटों से हार जाते।

कहा कि मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। पहली बार देखा कि इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता एक साथ मिलकर लड़ गया है। पहले भी गठबंधन होता था लेकिन शिकायतें आती थीं कि आप के लोगों ने मदद नहीं की। इस बार एक इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में हम लोग मिलकर लड़े हैं। मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना हर जगह एक हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि इस एकजुटका के दो तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिन्दुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। दोनों मिलकर हिन्दुस्तान की नींव को खत्म करना चाहते हैं।

निजी अस्पताल में आपरेशन के दौरान मरीज की मौत, हंगामा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला अस्पताल के सामने निजी अस्पताल में पैर का ऑपरेशन कराने आए मरीज की ऑपरेशन में ही मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा–बुझाकर मामला शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस और सीएमओ को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। संबंधित चिकित्सक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

सोनहा थानाक्षेत्र के फेरसन निवासी रविंद्रनाथ त्रिपाठी एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। परिजन वेदप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना में उनके बाएं पैर के घुटने में चोट लग गई थी। नौ जून को जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। वहां बेहतर उपचार नहीं मिलने पर घर लेकर चले गए थे। 10 जून को सूर्या अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। चिकित्सक ने 11 जून को सुबह नौ बजे बुलाया था। मंगलवार को दिए गए समय पर सूर्या अस्पताल में ऑपरेशन कराने के लिए आए। यहां चिकित्सक के अनुसार सभी प्रारंभिक जांचें कराई गईं, रिपोर्ट ठीक रहीं। मरीज से बातचीत हुई, वह स्वस्थ दिखे थे। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक के इलाज के लिए एक लाख रुपये जमा कराया। उसके बाद मरीज को ओटी में लेकर चले गए। ओटी में अव्यवस्था के साथ चिकित्सक और स्टाफ ने लापरवाही बरती, इससे मरीज की मृत्यु हो गई। वहीं मौत की सूचना के बाद परिजनों और उपस्थित अन्य लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर थाना पुरानी बस्ती पुलिस पहुंच गई। परिजन काफी देर तक कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इससे लोगों की भीड़ जमा हो गई। थानाध्यक्ष महेश सिंह आश्वासन देते रहे। थानाध्यक्ष ने कहा कि तहरीर मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद परिजन माने और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। वहीं सीएमओ डॉ. आरएस दुबे भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में मरीज की मौत होना दुखद है। मौत का कारण हृदयघात लग रहा है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूर्या अस्पताल के डॉ. एसके शर्मा का कहना है कि मरीज की सर्जरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। ओटी में ऑपरेशन के लिए ट्रीटमेंट दिया गया। मरीज को सांस की दिक्कत थी। फिर भी सात मिनट के भीतर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को बाहर ले जाने से पहले उनके छोटे बेटे से बेल्ट मंगवाया गया। मरीज जब बाहर जा रहा था, तभी हृदयघात हुआ। उसके बाद डेढ़ घंटे तक मरीज को बचाने का प्रयास किया गया। चिकित्सक द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। परिजनों की ओर से लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं।

सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने का संकल्प लेकर निकली जनजागरण यात्रा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सहारा के निवेशकों का भुगतान का संकल्प लेकर मंगलवार को बस्ती जनपद मुख्यालय से रथयात्रा रवाना हुई। संयुक्त न्याय इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले निकली रथयात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला, पीआई एल प्रभारी सतीश चतुर्वेदी, शहनाज आदि ने बस्ती से रथ यात्रा को रवाना किया। यात्रा देर शाम अयोध्या पहुंचेगी। यहां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने कहा कि सहारा पीड़ितों के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार करने के लिए पूरे देश में जन जागरण यात्रा चलाई जाएगी जिससे सहारा के निवेशकों का भुगतान हो सके।

वर्तमान सरकार द्वारा सहारा प्रबंध तंत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया जा रहा है जिसके कारण निवेशकों का भुगतान अधर में लटका है। इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। इसके लिये निवेशकों को ग्राउंड लेबल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले पीआईएल से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार शहर के पीड़ित निवेशकों का भुगतान दिलवाना नहीं चाहती। देशभर में 4000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार लगातार सहारा के प्रबंधतंत्र को संरक्षण दे रही है। कार्यकर्ता जमा करता आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब आखरी उम्मीद है मैं। देश भर के लोगों से आवाहन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल से जुड़े। रथ यात्रा में संबोधित करते हुए शहनाज जहां ने कहा कि सहारा प्रबंध तंत्र ने निवेशक के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति ला दिया है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही जमाकर्ता अपने पैसे के लिए कार्यकर्ताओं को घेरना शुरू कर देते हैं।

हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार है कि सहारा प्रबंध तंत्र को संरक्षण देकर के देश के निवेशकों का पैसा आपस में बंदर बांट करना चाहती है। मुरैना से संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु ओझा ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो देश के निवेशकों का पैसा भी मिल जाता और कार्यकर्ताओं का रोजगार वापस भी हो जाता। कार्यकर्ता तिल तिल के मर रहा है कोई उस की सीधी लेने वाला नहीं है। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला और उन की पूरी टीम ने शास्त्री चौक पर पीपल के पेड़ का पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने की भी पहल शुरू की।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निज़ामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 12 जून 2024 बुधवार

सम्पादकीय

रगो में भ्रष्टाचार

कहते हैं कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं तथा यदि पुलिस व न्यायालय चाहे तो अपराधी को पाताल से भी निकाल कर सलाखों के पीछे धकेल सकते हैं। मगर हमारे देश में पैसे व रसूख से कुछ भी खरीदा जा सकता है। हमारी रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है जो साफ करने पर भी गंदा ही बना रहता है। कई ऐसी हृदयविदारक घटनाएं होती हैं, जिन्हें देख कर किसी भी सामान्य व्यक्ति की संवेदनाएं जागृत हो उठती हैं। यह भी ठीक है कि हमारी पुलिस व पूरी न्यायिक व्यवस्था अपराधियों को पकडने व उन्हें सजा देने से पीछे नहीं रहती मगर कहते हैं कि पैसे के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। हमारा कानून अपनी आंखों पर काली पट्टी पहने रहता है तथा सबूतों का ही इंतजार करता रहता है। आम सामान्य अपराधियों को भले ही सजा हो जाती है मगर धनबली जिनको राजनीतिज्ञों व पुलिस इत्यादि सभी एजेंसियों का आशीर्वाद होता है, सजा से मुक्त होने में कामयाब हो ही जाते है।

सभी कानूनी संस्थाओं को अपने अपने नियमों का भली–भांति ज्ञान होता है तथा यह एजेंसियां दिन को रात व रात को दिन बनाने में भी सक्षम होती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ट्रैफिक घटनाओं में पुलिस मुकदमा दर्ज ही नहीं करती तथा दोनों पक्षों में समझौता करवाने की कोशिश करती है। पुलिस चाहे तो बड़ी से बड़ी घटना को प्राकृतिक व सामान्य रूप दे सकती है तथा दूसरी तरफ छोटी घटना को एक बहुत बड़ा रूप भी दे सकती है। ऐसा तभी संभव होता है, जब या तो नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी भी हैं जो खुद सत्यनिष्ठ व ईमानदार तो हैं, मगर वह या तो कानून की बारीकियों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं या फिर वो आंखें मूंद कर अपना समय निकालते रहते हैं।

अभी हाल ही में पुणे में 19 मई की एक ऐसी सड़क दुर्घटना का उदाहरण है जो पुलिस, आबकारी विभाग व न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह पैदा करती है, जिससे इन संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास तुरंत उठ जाता है। एक बड़े धनबली के साढ़े 17 वर्ष के नाबालिग बेटे ने 19 मई की रात को एक होटल में 48,000 की महंगी से महंगी शराब पी तथा उसके बाद नशे में धुत्त होकर अपनी 2 करोड़ की गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर एक मोटर साइकिल सवार जिस पर एक 24 वर्षीय लड़का व लड़की जा रहे थे, को बहुत बुरी तरह से कुचल कर मौके पर ही मार देता है तथा घटनास्थल से भागने की कोशिश करता है।

मगर कुछ साहसी लोगों ने अपनी नैतिकता का फर्ज समझते हुए उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस किस तरह अपने लंबे हाथों को बांध कर उस अपराधी को बचाने की कोशिश करने लगती है जो सचमुच पुलिस की छवि को धूमिल कर देती है। पुलिस ने इस बिगड़ैल लड़के को थाने में ले जाकर सुबह बर्गर व पिज्जा इत्यादि खिलाया तथा घटना की एफ.आई.आर. लगभग 6 घंटे के बाद सोच–समझ कर 8 बजे दर्ज की। उसका तुरंत मैडीकल नहीं करवाया गया तथा घटना के 15 घंटे के बाद शाम 3 बजे उसका ब्लड सैंपल लिया गया। उसका एक किशोर अपराधी की तरह किशोर अपराधी अधिनियम 2015 के अंतर्गत समायोजन किया गया तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर दिया।

हालांकि इस एक्ट में विशेष प्रावधान है कि यदि कोई युवक (18 वर्ष की कम आयु वाला) कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे एक व्यस्क व्यक्ति की तरह ही गिरफ्तार करके उस पर आगामी कार्रवाई करनी चाहिए। बेईमानी की सीमा अभी समाप्त नहीं हुई। आरोपी के पिता ने फौरेंसिक लैब के निदेशक को 3 लाख रुपए देकर अपने आरोपी बेटे के खून के सैंपल ही बदलवा दिए। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस ने आरोपी के ब्लड सैंपल एक अन्य लैब में भी भेज रखे थे तथा इस लैब की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने शराब पी रखी थी। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर आरोपी डाक्टरों को षड्यंत्र रचाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा तभी संभव हो सका जब जागृत जनता व मीडिया ने एकजुट होकर आवाज उठाई। न जाने इन आरोपी डाक्टरों ने पहले भी कितने अपराधियों को लाभ पहुंचा कर अपने ईमान को बेच दिया होगा।

पुलिस के इस ढुलमुल रवैये के बाद हमारी न्यायपालिका का रोल आरंभ होता है। जरा देखिए यह भी किस तरह अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध कर तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखते हुए अपनी न्यायिक प्रक्रिया शुरू करती है। यह न्यायिक बोर्ड जिसका चेयरमैन ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है इस बिगड़ैल को 300 पंक्तियों का एक निबंध लिखवा कर छोड़ देता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस घटना में राजनीतिज्ञों का क्या रोल रहा होगा। वो भी जरा जान लीजिए। घटना का पता चलते ही स्थानीय विधायक महोदय थाना में दस्तक दे देते हैं तथा वह निश्चित तौर पर पुलिस को इस केस को कमजोर करने की ही बात करते होंगे। यदि हम चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की बात कहें तब इस समय लगभग 40 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तथा कई तो ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध हत्या के एक से अधिक मामले लंबित हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि ऐसे दागी उम्मीदवारों को चुनाव लडने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

कार्यालय ग्राम पंचायत सैफाबाद वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 21–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विकास कुमार नागर) ग्राम प्रधान **(राजन चौधरी)** ग्रा0प0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत कुर्दा वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 24–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 25–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(विमला देवी) ग्राम प्रधान **(श्री प्रकाश वर्मा)** ग्रा0प0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघाकाडर वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 24–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 25–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अंजली यादव) ग्राम प्रधान **(वीरेन्द्र कुमार)** ग्रा0प0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत मीतनजोत वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 21–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रूबी) ग्राम प्रधान **(गोविन्द प्रसाद)** ग्रा0प0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत सिल्लो वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 19–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 20–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनीता यादव) ग्राम प्रधान **(योगेन्द्र नाथ द्विवेदी)** ग्रा0प0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत डेवाडीहा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 21–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फनीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामलगन) ग्राम प्रधान **(कौशल सोनकर)** ग्रा0प0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत सूरतगढ़ वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्डे पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम चरन) ग्राम प्रधान (स्नेहा श्रीवास्तव) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत जाता वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्डे पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(संतोष चौधरी) ग्राम प्रधान (चन्द्र शेखर) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत पड़री वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 21–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्डे पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(झगरू) ग्राम प्रधान (चन्द्र शेखर) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत खड़ौआ जाट वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 19–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 20–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्डे पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(धर्मेन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान (दीपक कुमार) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत जमोहरा वि0ख0 साऊँघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्डे पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(यासीन) ग्राम प्रधान (मनोज वर्मा) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत वरवा वि0ख0 साऊँघाट जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईंट, हेण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईंट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्डे पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(ऊषा देवी) ग्राम प्रधान (अखिलेश कुमार वर्मा) ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, कुल चार दबोचे गये

संवाददाता–कुशीनगर। जनपद के तमकुहीराज थानाक्षेत्र स्थित गाजीपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों व पुलिस टीम में मुठभेड़ हो गई। आमने–सामने की मुठभेड़ में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से घायल बदमाशों सहित कार में सवार चार अपराधियों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ जनपद गोरखपुर व बलिया में तमाम गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाशों की जमा तलाशी में पुलिस को लगभग बीस हजार रुपए नगद, दो अवैध तमंचा व भारी मात्र में कारतूस व विभिन्न कंपनियों के 38 एटीएम कार्ड मिले हैं। मामले में पुलिस चारों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कारवाई में जुटी हुई है।

मंगलवार की भोर थानाध्यक्ष तमकुहीराज अतुल श्रीवास्तव को सूचना मिली कि थानाक्षेत्र में एक लग्जरी कार में सवार संदिग्ध विचरण कर रहे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। थानाध्यक्ष ने पुलिस क्षेत्राधिकारी व पुलिस कप्तान को इससे अवगत कराया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस उच्चाधिकारियों से सूचना पाकर थानाध्यक्ष तरया सुजान आशुतोष कुमार सिंह मय टीम थानाक्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में गश्त और चेकिंग में जुट गए। जानकारी मिलते ही जिले की स्वाट टीम प्रभारी अलोक यादव की अगुवाई में तमकुहीराज पहुंच गई। पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कारवाई करते हुए तमकुहीराज थानाक्षेत्र के गाजीपुर में स्थित बाल्टी बाबा के फॉर्म हाउस के पास सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार लग्जरी कार को देखकर उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन कार सवार गाड़ी की गति बढ़ाते हुए भागने लगे। पुलिस ने पिछा कर कार को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कारवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि कार में सवार दो अन्य बदमाश भी पुलिस ने दबोच लिए। पकड़े गए बदमाशों के बारे में टीम ने बताया कि पूछताछ में चारों बदमाश लूट और एटीएम कार्ड बदल कर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गैंग से जुड़े हैं। इनके खिलाफ गोरखपुर व बलिया में एक दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। थानाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधियों की पहचान मोहित साहनी पुत्र राजू साहनी निवासी सेमरा नंबर दो (खजांची चौराहा) थाना गुलहरिया, जनपद–गोरखपुर व संदीप मिश्रा पुत्र देवनारायण निवासी गोविंदपुर,थाना सिकरीगंज, जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। इन दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं इनके दो सहयोगियों रवि कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी सेमरा नंबर दो, थाना–गुलहरिया,जनपद गोरखपुर व अभिषेक त्रिपाठी पुत्र विजय त्रिपाठी निवासी जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर, थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर को पुलिस टीम ने मौके से गिरफ्तार किया है। इन सबके कब्जे से बीस हजार सात सो पंद्रह रुपये नगद, दो अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर, तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, विभिन्न कंपनियों के 38 एटीएम कार्ड, चार अदद मोबाइल व एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगद इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0

अदालत– श्रीमान सी0ओ0आर0 महोदय बस्ती जिला बस्ती

जमालुद्दीन

बनाम

सरकार

1. हरीलाल पुत्र जयराम 2. सुग्रीव पुत्र मोतीलाल 3. सुशील पुत्र मोतीलाल 4. श्रीमती मेवाती देवी पत्नी मोतीलाल निवासीगण ग्राम सुभाषपुर तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 5. मोहम्मद रफीक पुत्र इद्रीश 6. मोहम्मद सफीक पुत्र इद्रीश 7. मोहम्मद हफीज पुत्र इद्रीश 8. नसरूरूल्लाह पुत्र बकरीदन 9. श्रीमती खातिरा खातून पत्नी इद्रीश 10. मोहरत अली पुत्र दरगाही निवासीगण ग्राम मिश्रौलिया तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 11. मिश्रीलाल पुत्र साहबराम निवासी ग्राम धरमपुर तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 12. रामफेर पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम अतरपलिया तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 13. श्रीमती खैरून्निशा पत्नी रईश निवासी वासी तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 14. श्रीमती तारावुन्निशा पत्नी अनवर अली 15. भगवानदास पुत्र भगौती 16. छट्टीदीन पुत्र भगौती 17. कल्पनाथ पुत्र भगौती 18. समयदीन पुत्र भगौती 19. राम जियावन पुत्र भगौती निवासीगण ग्राम मिश्रौलिया तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 27–06–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27 माह 06 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सरश्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मससुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 06 माह 06 सन 2024 ई0 जारी किया गया। द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान षष्टम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0 688/2011

मॅगरे

बनाम

ह्रदयराम आदि

8/1 अनना प्रसाद 8/2 शिवसहाय 8/3 संदीप पुत्रगण मुन्नर 8/4 श्रीमती विलाइता देवी पत्नी मुन्नर निवासी ग्राम मजगवा (मझगवा) तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 16–08–2024

हरगाह मुददई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुददाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुददई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुददाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 16 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत अक्सड़ा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(हैदर अली) ग्राम प्रधान **(दीपक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत निरंजनपुर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुशील) ग्राम प्रधान **(कौशल सोनकर)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत केंवचा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 21–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(पूनम) ग्राम प्रधान **(दीपक कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत रखौना वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 19–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 20–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामसुंदर) ग्राम प्रधान **(कौशल सोनकर)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत मटेरा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 20–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(चन्दन सिंह) ग्राम प्रधान **(दयानन्द वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

कार्यालय ग्राम पंचायत सिसवारी रघुबीर सिंह वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 12–06 2024 से 22–06–2024 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 24–06–2024 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम अजोर चौधरी) ग्राम प्रधान **(दयानन्द वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /11.06.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

बालिका के साथ दुष्कर्म

संवाददाता–संतकबीरनगर। क्षेत्र के एक गांव में किराए की मकान में अपने मां और भाई के साथ रह रही नौ वर्षीय बालिका के साथ उसी मकान का किराएदार ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज करके आरोपी को तलाश में जुट गई है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

M.A.C.P.N0 76/2021

अदालत–श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला–बस्ती

सवरून्निशा आदि

बनाम

विशाल यादव

1. विशाल यादव पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम चौकवा पो0 चौकवा जिला–बस्ती पिन कोड–272190 (वाहन स्वामी मोटर साईकिल नं0–UP 51 ए0वी0 3280) 2. अर्जुन कुमार यादव पुत्र रामदुलारे यादव निवासी बाघा कड़र पो0 सुकरौली जिला–बस्ती (वाहन चालक मोटर साईकिल नं0–UP 51 ए0वी0 3280)

तारीख पेशी 12–06–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 06 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

M.A.C.P.N0 199/2022

अदालत–श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला–बस्ती

संजू सिंह

बनाम

बजरंगी प्रसाद मिश्रा

1. बजरंगी प्रसाद मिश्रा पुत्र केसरी प्रसाद मिश्र निवासी अमानीगंज कालोनी कोतवाली नगर अयोध्या जिला अयोध्या उ0प्र0 पिन कोड 224001 (वाहन स्वामी ट्रक नं0–UP 42 T 1616) 2. नान बच्चा पुत्र जय जयराम निवासी नहर बाबागंज बलरामपुर पिन कोड–271201 (वाहन चालक ट्रक नं0–UP 42 T 1616)

तारीख पेशी 12–06–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 06 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

M.A.C.P.N0 81/2021

अदालत–श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला–बस्ती

बेवी देवी

बनाम

सुवाष शुक्ल

1. सुवाष शुक्ल पुत्र स्व0 परमेश्वरदत्त निवासी ग्राम जिगनी पो0 मंझरिया विक्रम जिला–बस्ती उ0प्र0 पिन 272002 (वाहन स्वामी ट्रक नं0–UP 51 T 6609) 2. सुनील कुमार पुत्र राममूरत निवासी ग्राम मकदी पो0 पुर्सिया जनपद–बस्ती पिन कोड–272002 (वाहन चालक ट्रक ट्रेलर नं0–UP 51 T 6609)

तारीख पेशी 12–06–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 06 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

M.A.C.P.N0 28/2020

अदालत–श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला–बस्ती

श्रीमती कमला देवी

बनाम

मोहम्मद सईद रिजवी

1. मोहम्मद सईद रिजवी पुत्र सैयद मसूद हसन रिजवी साकिन व पो0 हल्लौर थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर (वाहन स्वामी नं0–UP 55 T 6242) 2. इरफान आलम पुत्र रमजान अली ग्राम भानपुर पो0 मगहर जनपद संतकबीरनगर (वाहन चालक नं0–UP 55 T 6242)

तारीख पेशी 13–06–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 06 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।

मो09450567450 9336715406,

ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**

bhartiyabasti@gmail.com